

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग
(उर्दू निदेशालय)

का० आ० सं० उ०नि०- 17/2013.26/रा०, पटना, दिनांक 28/6/2013

उर्दू निदेशालय के निम्नांकित सहायक उर्दू अनुवादकों को उनके नाम के सामने स्तम्भ- 4 में अंकित कार्यालय में स्थानांतरित कर तत्कालिक प्रभाव से पदस्थापित किया जाता है।

क्रमांक	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदस्थापन कार्यालय	प्रस्तावित स्थानांतरण कार्यालय का नाम
1	2	3	4
1	श्री मो० अख्तर आलम	मोतिहारी प्रखण्ड पूर्वी चम्पारण	बेतिया अनुमंडल, पश्चिमी चम्पारण
2	" शेख शहाबुद्दीन	बेतिया अनुमंडल, पश्चिमी चम्पारण	सोनबरसा प्रखण्ड, सीतामढ़ी
3	" अली असगर	फारबिसगंज प्रखण्ड, अररिया	बायसी प्रखण्ड, पूर्णियाँ
4	" मोजीबुर रहमान	बायसी प्रखण्ड, पूर्णियाँ	फारबिसगंज प्रखण्ड, अररिया
5	" मो० साबिर	फुलपरास प्रखण्ड, मधुबनी	राजनगर प्रखण्ड, मधुबनी
6	" फिरोज अहमद	सदर प्रखण्ड, बेगूसराय	बहेरी प्रखण्ड, दरभंगा
7	" मो० शाहजादा	बहादुरपुर प्रखण्ड, दरभंगा	सदर प्रखण्ड, दरभंगा
8	" अशरफ आलम	नरहट प्रखण्ड, नवादा	धनरूआ प्रखण्ड, पटना
9	" मो० अलीम खॉ	मैनाटांड प्रखण्ड, प० चम्पारण	रीगा प्रखण्ड, सीतामढ़ी
10	" मो० जाकिर हुसैन	रुनीसैदपुर प्रखण्ड, सीतामढ़ी	इसलामपुर प्रखण्ड, नालंदा

2/ उक्त सभी स्थानांतरित/पदस्थापित कर्मों अपने नये पदस्थापन स्थान पर आदेश निर्गत की तिथि से 15 दिनों के अन्दर योगदान देकर अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से मुख्यालय को सूचित करेंगे।

3/ सभी सम्बद्ध कार्यालय प्रधान, सम्बद्ध उर्दू कर्मों को 15 दिनों के अन्दर उन्हें उनके नये पदस्थापन स्थान में योगदान देने हेतु निश्चित रूप से विरमित कर इसकी सूचना उर्दू निदेशालय को देने का कृपया कष्ट करेंगे।

4/ क्रमांक- 2, 4 एवं 9 को छोड़कर शेष सहायक उर्दू अनुवादकों का स्थानांतरण उनके अनुरोध पर किया गया है। अतएव उन्हें बिहार यात्रा-भत्ता नियमावली के नियम- 83 के अनुसार स्थानांतरण यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

ह०/-
(ब्रजेश मेहरोत्रा)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक- 210/रा०, पटना, दिनांक 28/6/2013

प्रतिलिपि :- सभी सम्बद्ध जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रतिलिपि :- सभी सम्बद्ध कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. प्रतिलिपि :- सभी सम्बद्ध अनुमंडल पदाधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4. प्रतिलिपि :- सभी सम्बद्ध सहायक उर्दू अनुवादक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ इस निदेश के साथ दी जाती है कि वे 15 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से योगदान देकर योगदान सूचना उचित माध्यम से उर्दू निदेशालय को उपलब्ध करायेंगे।

28/6/13

28/6/13
(मो० बशीर)
उप निदेशक (उर्दू)